राजरानी बनाम रचित वगैरह
मुकदमा नम्बर 25/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीया –

राजरानी पुत्र पदमचन्द जाति जैन उम्र 53 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रचित पुत्र सनमतिकुमार जाति जैन उम्र करीबन 32 वर्ष निवासी चौहान नगर जयपुर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी) नावां।

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री धर्मेन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीया

मुकदमा नम्बरः 25/2023 — निर्णय दिनांक :– 29.12.2023

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया की ग्राम मीठड़ी में कब्जा काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि स्थित चली आ रही है जिस पर निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से काश्त करती चली आ रही है। मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा संख्या 533 रकबा 1.2800 हैक्टर कुल रकवा 1.28000 जमाबन्दी में दर्ज चली आ रही है। मौजा ग्राम मीठड़ी की जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 में पूर्व खातेदार ढुंगा, लादू, दुला पिता मगना जाति जाट निवासी मीठड़ी के नाम खसरा संख्या 48 रकबा 0.0480 हैक्टर, खसरा संख्या 330 रकबा 1.2080 हैक्टर, खसरा संख्या 533 रकबा 1.2880 हैक्टर, खसरा संख्या 1128 रकबा 7.1580 हैक्टर कुल रकबा 9.370 भूमि में से ढुंगा, दुला पिता मंगना जाति जाट ने खसरा नम्बर 533 रकबा 1.2880 हैक्टर जरिये रजिस्टर्ड बैचान शान्तिलाल, बाकलीवाल पुत्र आसुलाल जाति जैन निवासी चौहान नगर जयपुर को बैचान कर दी जिसका नामान्तकरण संख्या 271 दर्ज किया गया। शान्तिलाल के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम फौतगी नामान्तकरण संख्या 951 दिनांक 06/01/2007 जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 2065 में दर्ज किया गया। फौतगी नामान्तकरण अनुसार खसरा संख्या 533 रकबा 1.2880 हैक्टर कुल रकबा 12880 हैक्टर में से शान्तिलाल के वारिसान सुधीरकुमार, संजयकुमार पिसरान शान्तिलाल, संगीता, शर्मिला पुत्रियों शान्तिलाल, रंजनादेवी पत्नी सनमतिकुमार (शान्तिलाल की पुत्रवधू) ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अर्थात् कुल 9/10 वां हिस्सा राजरानी जैन पत्नि पदमचन्द जैन निवासी ग्राम मीठड़ी को बैचान कर दी एवं स्वर्गीय सनमतिकुमार के पुत्र (शान्तिलाल की पौत्र) का 1/10 वां हिस्सा शेष रहा। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में वादीया राजरानी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 रचित का 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया जो एक सद्भावी भूल है जिसको दुरूस्त किया जाना वादीया के हितों के लिए आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 सहखातेदार होने व प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार होने से बाद में आवश्यक एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

फौरमल पक्षकार बनाये गये है। राजस्व ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद में स्थित खसरा संख्या 533 रकबा 1.2880 कुल रकबा 1.2880 भूमि में वादीया का हिस्सा 1/2 के बजाय हिस्सा 9/10 अर्थात् 1.15280 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 के बजाय 1/10 करवाने हेतु रिकार्ड दुरस्ती की डिकी बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाकर राजस्व रिकार्ड में मुताबिक डिकी अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की।

वादीया का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन अखबार समाचार जगत दिनांक 7 जून 2023 में प्रकाशित करवाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात तहसीलदार नावां से उक्त प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार नावां ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मीठड़ी के खसरा नम्बर 533 रकबा 1.28 हैक्टर में राजस्व रिकॉर्ड एवं सलंग्न विक्रय पत्र का अवलोकन करने पर विक्रय पर अनुसार राजरानी पत्नि पदमचन्द जैन ने विक्रेता सुधिरकुमार, संजयकुमार का अपना सम्पूर्ण हिस्सा रकबा 1.152 हैक्टर अर्थात् 9/10 हिस्सा विक्रय किया गया। नामांतकरण संख्या 1291 में हिस्सा दर्ज नहीं होने व जमाबंदी में अमल करते समय विस्तृत विवरण के अभाव में भूलवश/लिपिकीय त्रुटि से 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया। विक्रय पत्र अनुसार राजरानी पत्नि पदमचन्द का हिस्सा 9/10 किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा संख्या 533 रकबा 1.2800 हैक्टर भूमि में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर वादीया राजरानी का 1/2 हिस्सा के बजाय 9/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 रचित का 1/2 हिस्सा के बजाय 1/10 हिस्सा घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा संख्या 533 रकबा 1.2800 हैक्टर भूमि में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर वादीया राजरानी का 1/2 हिस्सा के स्थान पर 9/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 रचित का 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/10 हिस्सा घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

फौरमल पक्षकार बनाये गये है। राजस्व ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद में स्थित खसरा संख्या 533 रकबा 1.2880 कुल रकबा 1.2880 भूमि में वादीया का हिस्सा 1/2 के बजाय हिस्सा 9/10 अर्थात् 1.15280 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 के बजाय 1/10 करवाने हेतु रिकार्ड दुरस्ती की डिकी बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाकर राजस्व रिकार्ड में मुताबिक डिकी अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की।

वादीया का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन अखबार समाचार जगत दिनांक 7 जून 2023 में प्रकाशित करवाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात तहसीलदार नावां से उक्त प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार नावां ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मीठड़ी के खसरा नम्बर 533 रकबा 1.28 हैक्टर में राजस्व रिकॉर्ड एवं सलंग्न विक्रय पत्र का अवलोकन करने पर विक्रय पर अनुसार राजरानी पत्नि पदमचन्द जैन ने विक्रेता सुधिरकुमार, संजयकुमार का अपना सम्पूर्ण हिस्सा रकबा 1.152 हैक्टर अर्थात् 9/10 हिस्सा विक्रय किया गया। नामांतकरण संख्या 1291 में हिस्सा दर्ज नहीं होने व जमाबंदी में अमल करते समय विस्तृत विवरण के अभाव में भूलवश/लिपिकीय त्रुटि से 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया। विक्रय पत्र अनुसार राजरानी पत्नि पदमचन्द का हिस्सा 9/10 किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा संख्या 533 रकबा 1.2800 हैक्टर भूमि में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर वादीया राजरानी का 1/2 हिस्सा के बजाय 9/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 रचित का 1/2 हिस्सा के बजाय 1/10 हिस्सा घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा संख्या 533 रकबा 1.2800 हैक्टर भूमि में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर वादीया राजरानी का 1/2 हिस्सा के स्थान पर 9/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 रचित का 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/10 हिस्सा घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीया —

राजरानी पुत्र पदमचन्द जाति जैन उम्र 53 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण —

1. रचित पुत्र सनमतिकुमार जाति जैन उम्र करीबन 32 वर्ष निवासी चौहान नगर जयपुर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी) नावां।

मुकदमां नम्बर :— 25/2023 **निर्णय दिनांक :—** 29.12.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री धर्मेन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीया को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा संख्या 533 रकबा 1.2800 हैक्टर भूमि में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर वादीया राजरानी का 1/2 हिस्सा के स्थान पर 9/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 रचित का 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/10 हिस्सा घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.12.2023 को जारी की गई।

मुहर (उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन))

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां
उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested